

श्रीमान जी,

**रिपोर्ट पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक**

निवेदन है कि मुताबिक जमाबंदी संवत् 2074-2077 के चक्र 2 MKM के मु.नं. 204 कि.नं. 16 अ.उ. 24 अ.उ. 25 कुल = 1.01 बीघा अ.उ. गैर मुम्किन नहर के रिकॉर्ड में दर्ज है। जबकि चक्रलान व मोठे के अनुसार उक्त चक्र 2 MKM में रिकॉर्ड खालेदार दर्ज है।

श्रीमान जी, DILRMP योजनावगत चक्र 2 MKM में जमाबंदी व नम्बरा का ONE TO ONE मिवान हेतु उक्त मु.नं. 204 कि.नं. 16 अ.उ. 24 अ.उ. 25 कुल = 1.01 बीघा अ.उ. गैर मुम्किन नहर के रिकॉर्ड को जमाबंदी से हटाया जाना उचित है। रिपोर्ट श्रीमान जी की सेवा में आगामी उचित सुत्रपाठी हेतु सुझाव पेश है।

**रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार**

महोदय, रिपोर्ट पटवारी एवं I LR प्रस्ताव मु.नं. 204 चक्र 2 MKM में नहीं है चक्र लान अनुसार उक्त मु.नं. 4 MKM में है। चक्र 4 MKM का रिकॉर्ड के रकत किले व रकबा पूर्व में ही दर्ज है। उक्त इन्डेंट चक्र 2 MKM से हटाये जाने की अनुशंसा की जाती है।

GCMS-2021/88  
मु.नं. 66/2021

**आदेश**

तहसीलदार (मुख.)  
लूनकरनसर  
12/4/21

पत्रावली तहसीलदार (मुख.) लूनकरनसर से रिपोर्ट होकर प्राप्त हुई। इसी जवाब में आवश्यक किया गया, मुताबिक रिपोर्ट जमाबंदी संवत् 2074-2077 के चक्र 2 MKM के मु.नं. 204/7 कि.नं. 16/0-01 अ.उ. 24 अ.उ. 25 कुल = 1.01 बीघा अ.उ. गैर मुम्किन नहर के रिकॉर्ड में दर्ज है। जबकि चक्रलान व मोठे के अनुसार उक्त चक्र 4 MKM में रिकॉर्ड खालेदार है। रिपोर्ट पटवारी एवं I LR अनुसार मु.नं. 204/7 चक्र 2 MKM में नहीं है चक्र लान अनुसार उक्त मु.नं. 4 MKM में है। चक्र 4 MKM का रिकॉर्ड में उक्त किले व रकबा पूर्व में ही दर्ज है तहसीलदार लूनकरनसर द्वारा उक्त इन्डेंट चक्र 2 MKM हटाये जाने की अनुशंसा की गई है। प्राप्त आगामी मुताबिक तहसीलदार अनुशंसा लीकर किया है। इस आदेश की उपपिन की तहसीलदार लूनकरनसर से वापस आना आवश्यक करने हेतु उचित है। पत्रावली निम्न उपखण्ड अधिकारी तहसीलदार होकर एलव जाकर तहसीलदार को भेजा है।

उपखण्ड अधिकारी  
लूनकरनसर

उप खण्ड अधिकारी  
लूनकरनसर

